

थाना-मेहनाजपुर

राहगीरों से लूट करने वाले 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार व 05 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, 04 मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस बरामद पूर्व की घटना-

➔दिनांक 12.02.2023 को आवेदक आनन्द मौर्या पुत्र प्रदीप मौर्या ग्राम बेला थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ अपने मोटर साइकिल से समय करीब 17:30 बजे शाम को घर वापस आ रहा था कि करसड़ा सहीद बाबा स्थान के पास चार अज्ञात बदमाशों द्वारा रोककर कट्टा दिखाकर मोबाईल व मोटर साइकिल छीन लिया गया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 23/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

➔थानाध्यक्ष मेहनाजपुर सच्चिदानन्द यादव मय हमराह को मुखबिर ने सूचना दिया कि मौधा बाजार की तरफ से दो मोटर साइकिल पर चार-चार व्यक्ति बैठ कर इटैली की तरफ आ रहे हैं जो संदिग्ध प्रतित हो रहे हैं या तो कही से घटना करके आ रहे हैं या कही घटना करने की फिराक में हैं।

➔इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मय हमराह व वरिष्ठ उपनिरीक्षक द्वारा इटैली तिराहे पर पहुंचते-पहुंचते दोनो मोटर साइकिल पर सावर 08 व्यक्ति इटैली से सिधौना की तरफ मुड़ गये। पुलिस टीम नें टार्च जालाकर व आवाज देकर रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को देखते ही दोनो मोटर साइकिल चालक सिधौना की तरफ भागने लगे। जिसपर थानाध्यक्ष द्वारा कंट्रोल रुम व आगे पड़ने वाले थाना देवगाँव प्रभारी निरीक्षक को घेराबन्दी कर रोकने के लिये सूचना दिया गया।

जिसपर खुम्हादेवरी मोड़ पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के साथ चेकिंग करने लगे। दोनो मोटर साइकिल से भागने वाले व्यक्तियों ने सामने से पुलिस टीम देखा तो दाहिने तरफ खुम्हादेवरी मार्ग पर अचानक मोटर साइकिल मोड़ने के दौरान उनकी मोटर साइकिल की गति ज्यादा तेज होने से अनियन्त्रित होकर सड़क पर फिसलकर गिर गये तथा उठकर भागने का प्रयास करने लगे कि सभी पुलिस कर्मों नें घेराबंदी करके समय 12:20 बजे पकड़ लिया गया।

➔पकड़े हुए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया पहले मोटर साइकिल चालक नें अपना नाम:-

- 1- विपिन यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव यादव निवासी जमुई थाना देवगाँव आजमगढ़
- 2- अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लहुआ कला थाना देवगाँव आजमगढ़
- 3- रोशन यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी रसूलपुर थाना तरवां आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
- 4- 05 बाल अपचारी

➔ गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह नें बताया कि हमसभी लोग सुनसान जगहो पर अकेले आने जाने वाले मोटर साइकिल राहगीर तलाशते हैं तथा मौका देखकर उन्हे रोककर इन्ही अशलहो से डरा-धमका कर मोटर साइकिल व उनके पास मौजूद कीमती सामान लूट लेते हैं।

➔दिनांक 12.02.2023 को शाम के समय सिधौना करसड़ा मार्ग पर सैय्यद बाबा मजार के पास अभियुक्त अभिषेक सिंह कृष्णा सिंह ,राजन सोनी व हर्ष सिंह नें होण्डा ड्रीम योगा मोटर साइकिल नं0 UO50AN0205 से करसड़ा की तरफ से आ रहे एक लडके को रोककर तमंचा से डरा धमकाकर उसकी वीवो मोबाईल व मोटर साइकिल लूटे थे.

➔ दिनांक 15.01.2023 को बसही रोड थाना देवगाँव में एक आदमी से मोटर साइकिल नं0 UP50BC5750 सीडी डिलक्स लूटे थे.

➔ बरामद मोटरसाइकिलों का भौतिक सत्यापन किया गया तो UP50AN0205 होण्डा ड्रीम योगा को चेक किया गया तो वाहन स्वामी सुशीला मौर्या पुत्री दिनेश मौर्या निवासी अवनी थाना तरवां आजमगढ़ के नाम से रजिस्टर्ड है और मु0अ0सं0 23/2023 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित प्रमाणित है. UP50BC5750 HF डिलक्स को चेक किया गया तो वाहन स्वामी आशा पत्नी राम सहार के नाम से रजिस्टर्ड है। जिसे व030नि0रत्नेश दूबे द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी की चोरी का मुकदमा थाना देवगाँव में मु0अ0सं0 13/2023 धारा 382,506 भादवि पंजीकृत है.

➔ अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम मौधा से दो मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 23/2023 धारा 392/395/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 23/2023 धारा 392/395/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- विपिन यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव यादव निवासी जमुई थाना देवगाँव आजमगढ़
- 2- अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लहुआ कला थाना देवगाँव आजमगढ़
- 3- रोशन यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी रसूलपुर थाना तरवां आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
- 4- 05 बाल अपचारी

विवरण बरामदगी

04 मोटर साइकिल

08 अदद मोबाईल

02 अदद देशी तमंचा .315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

थानाध्यक्ष मेहनाजपुर सच्चिदानन्द यादव

व030नि0 मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर

व030नि0 रत्नेश दूबे थाना देवगाँव

30नि0राजेन्द्र प्रसाद यादव देवगाँव जनपद आजमगढ़